राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

वैशाख 1, बुधवार, शाके 1932—अप्रेल 21, 2010

Vaisakha 1, Wednesday, Saka 1932–April 21, 2010

भाग 4 (ग)

उप—खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप—विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (क—2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 16, 2010

जी.एस.आर.11—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मोटर राज सेवा नियम, 1958 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर राज सेवा (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से या संबंधित संशोधन में विनिर्दिष्ट रूप से खित तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 4 का संशोधन.**—राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958, समें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के म में,—

(i) विद्यमान खण्ड (क) और उसकी प्रविष्टियों को (कक) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (कक) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (क) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(क)" नियुक्ति प्राधिकारी" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;"

(iii) विद्यमान खण्ड (ख) और उसकी प्रविष्टियों को, (खख) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

(iv) इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (खख) के पूर्व और खण्ड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (ख) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(ख)" समिति" से नियम 21क में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;"

(v) विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(ग)" नियंत्रक" से नियंत्रक, राज्य मोटर गैराज विभाग अभिप्रेत है;"

3. **नियम 6 का संशोधन.**–उक्त नियमों के नियम 6 में,–

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "(i) सेवा में सम्मिलित" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(1) सेवा में सम्मिलित" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "(iii) सेवा में पदों की संख्या" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(2) सेवा में पदों की संख्या" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) उप–नियम (1) के विद्यमान खण्ड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (i-क) 18–01–1384 से अंत:स्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:–

"(i-क) वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता।"

(iv) उप–नियम (1) के खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आटोमोबाइल अभियंता" के पश्चात् अभिव्यक्ति"/भंडार अधिकारी" 19–07–1978 से जोड़ी गयी समझी जायेगी।

4. **नियम 7 का संशोधन.**–उक्त नियमों के विद्यमान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"**7. भर्ती की रीति.**–(1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में पद (दों) पर भर्ती, अनुसूची के स्तम्भ 3 और 4 में यथा उपदर्शित अनुपात में, भर्ती की निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी :–

(क) इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा, और

(ख) इन नियमों के भाग 4क में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी भी समय अनुसूची में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय–समय पर स्वीकृत कुल संवर्ग के प्रतिशत से अधिक नहीं हो :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी का आयोग से परामर्श करके, जहां आवश्यक हो, यह समाधान हो जाये कि किसी वर्ष विशेष में भर्ती की किसी एक रीति से नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो नियुक्ति के अनुपात को शिथिल करते हुए, अन्य रीति से उसी प्रकार की जा सकेगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।"

5. **नियम 11 का संशोधन.**–उक्त नियमों के विद्यमान नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"11. **शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं तथा अनुभव.**–अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद (पदों) पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखेगा:–

(1) अनुसूची के स्तम्भ 5 में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव,

(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान :

परन्तु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूची में यथा–उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु,–

(i) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व;

(ii) जहां चयन लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व; और

(iii) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।"

6. **नियम 14 का संशोधन.**–उक्त नियमों का विद्यमान नियम 14 हटाया जायेगा।

7. **नये भाग 4क. का अंत:स्थापन.**–उक्त नियमों के भाग 4 के पश्चात् निम्नलिखित नया भाग 4क अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"भाग 4क–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

21 क. समिति का गठन.–अध्यक्ष के रूप में आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य, सदस्यों के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव या कार्मिक विभाग के शासन उप सचिव से अनिम्न रैंक के उसके किसी प्रतिनिधि और सदस्य–सचिव के रूप में नियंत्रक, मोटर गैराज से गठित समिति पदोन्नति के मामले पर विचार करेगी :

परन्तु यदि समिति के गठन में सम्मिलित कोई सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य–सचिव संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो तत्समय उस पद का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी समिति का सदस्य या सदस्य–सचिव होगा।

21–कक. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया.–(1) ज्योंही नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के रिक्तियों के अवधारण से संबंधित नियम के अधीन रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चित करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं त्योंही वह उप–नियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो संबंधित पद के वर्ग में वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) सुसंगत अनुसूची के, पद जिससे पदोन्नति की जानी है से संबंधित सुसंगत स्तम्भ में प्रगणित व्यक्ति चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव से संबंधित सुसंगत स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए स्तम्भ 3 में उपदर्शित सीमा तक उसके स्तम्भ 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(3) किसी भी व्यक्ति की सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार पदोन्नति की जानी हो, नियमित रूप से चयनित न हुआ हो।

स्पष्टीकरण:–यदि किसी वर्ष–विशेष में किसी पद पर पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, पांच भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों :

परन्तु–

(i) दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझे जायेंगे जब तक कि उनकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(5) सेवा में सम्मिलित पद पर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर किया जायेगा :

परन्तु राज्य सेवा में के उच्चतम पद पर पदोन्नति, यदि यह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, केवल योग्यता के आधार पर की जायेगी :

परन्तु यह और कि यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष–विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर उच्चतम पद (पदों) पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो उच्चतम पद (पदों) पर वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी रीति से किया जा सकेगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(6) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या–सीमा निम्नलिखित होगी :–

(i) रिक्तियों की संख्या	विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या
(क) एक रिक्ति के लिए	पांच पात्र व्यक्ति
(ख) दो रिक्तियों के लिए	आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियों के लिए	दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का तीन गुना।

(ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जहां अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या–सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की संख्या–सीमा रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या–सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों के बारे में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति भी विचार किया जायेगा।

(iv) सेवा में के किसी पद के लिए.–

(क) यदि पदोन्नति समान वेतनमान में एक से अधिक पद–प्रवर्गों से हो तो पदोन्नति के लिए समान वेतनमान में प्रत्येक प्रवर्ग से संख्या में दो तक पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा,

(ख) यदि पदोन्नति भिन्न–भिन्न वेतनमानों वाले एक से अधिक पद–प्रवर्गों से होनी हो तो पदोन्नति के लिए पहले उच्चतर वेतनमान में के पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा और यदि उच्चतर वेतनमान में योग्यता या, यथास्थिति, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो केवल तब ही निम्नतर वेतनमानों में के अन्य

पद–प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस मामले में पात्रता के लिए विचार की संख्या–सीमा कुल मिलाकर पाँच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र विहित है।

(8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर नामों की एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर और/या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची उस पद (पदों) के प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी जिससे चयन किया गया है।

(9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर सूची भी तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में हों, भरने के लिए उप–नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों की संख्या से अनधिक व्यक्तियों के नाम होंगे। वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर या योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पदों के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया जायेगा, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को ऐसी समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्वर्ती वर्ष में हो और ऐसी सूची ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक प्रवृत्त रहेगी जिसके लिए समिति की बैठक की जाये।

(10) उप–नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हों, के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी।

स्पष्टीकरण:–योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, जिसके लिए समिति की बैठक आयोजित की जाये, पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम चार वर्ष का अभिलेख "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" न हो।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो समिति उस वर्ष,

जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नति उस वर्ष–विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनर्निधारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता, किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निर्देश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक विभाग की और (जहां आयोग सहबद्ध हो) आयोग की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहां समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।

(14) आयोग, समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां पूर्ववर्ती उप-नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उनके नाम सूचियों में रखे गये हैं, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जाये जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।"

8. नियम 23 का संशोधन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 23 के स्थान पर 18-01-1984 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:–

"23. मुख्य अधीक्षक, वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता, आटोमोबाइल अभियंता/भंडार अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–

(1) इन नियमों के प्रारंभ तक मुख्य अधीक्षक के पद पर अधिष्ठायी या स्थानापन्न नियुक्ति, सरकार द्वारा वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता/आटोमोबाइल अभियंता को पदोन्नत करके की जायेगी यदि उसे ऐसी पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा जाये।

(2) इन नियमों के प्रारंभ तक वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता के पद पर अधिष्ठायी या स्थानापन्न नियुक्ति, सरकार द्वारा आटोमोबाइल अभियंता/भंडार अधिकारी को पदोन्नत करके की जायेगी यदि उसे ऐसी पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा जाये।"

9. नये नियम 28क का अंतःस्थापन.–विद्यमान नियम 28 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"28क. वरिष्ठता.– सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी :

परन्तु –

(i) किसी प्रवर्ग-विशेष में सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का

प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर या दीर्घतर कालावधि यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसे बढ़ाया जाये, सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी जिस क्रम में उनके नाम नियम 20 के अधीन बनायी गयी सूची में रखे गये हैं।

(ii) यदि एक ही वर्ष के दौरान सेवा में दो या अधिक व्यक्ति नियुक्त किये जायें जो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा।

(iii) ऐसे चयन के, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये जाते हैं।

(iv) एक ही चयन में वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्यिों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उसके ठीक नीचे की ग्रेड में है।

(v) यदि दो या अधिक पद प्रवर्ग पदोन्नति के लिए पात्र हैं तो पारस्परिक वरिष्ठता, पद, जिससे पदोन्नति की जानी है, पर नियमित नियुक्ति के पश्चात् लगातार सेवाकाल के आधार पर अवधारित की जायेगी।"

10. अनुसूची का अंतःस्थापन.– उक्त नियमों के नियम 34 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव	पदोन्नति		अभ्युक्तियां
		सीधी भर्ती	पदोन्नति		पद जिससे पदोन्नति की जानी है	अर्हता और अनुभव	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मुख्य अधीक्षक	–	100%	(i) भारत में विधि-द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्या-लय की आटोमोबा-	वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता/ आटोमोबाइल अभियंता	स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियन्ता के पद पर 3	यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त वरिष्ठ आटोमो-बाइल

1	2	3	4	5	6	7	8
				इल/यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री। (ii) संयंत्र रखरखाव, मशीन शाप, इंजन पुनरनुकूलन और आटोमोबाइल मरम्मत से आनुषंगिक अन्य व्यवसायों का कार्य करने वाली आटोमोबाइल वर्कशाप में 5 वर्ष का अनुभव।		वर्ष का अनुभव या स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित आटोमोबाइल अभियन्ता के पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	अभियंता उपलब्ध नहीं हो तो मुख्य अधीक्षक का पद आटोमो–बाइल अभियंता से भरा जा सकेगा।
2.	वरिष्ठ आटोमोबाइल अभियंता	1	100:	(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्या–लय की आटोमोबा–इल/यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री और (ii) संयंत्र रखरखाव, मशीन शाप, इंजन पुनरनुकूलन और आटोमोबाइल मरम्मत से आनुषंगिक अन्य व्यवसायों का कार्य करने	आटोमोबा–इल अभियंता/ भंडार अधिकारी	यांत्रिक अभियांत्रि–की/आटोमो –बाइल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव। या यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा के साथ स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	

1	2	3	4	5	6	7	8
				वाली आटोमोबाइल वर्कशाप में 5 वर्ष का अनुभव।			
3.	आटोमोबा–इल अभियंता/ भंडार अधिकारी	50%	50%	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्या–लय की आटोमोबाइल /यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री साथ में संयंत्र रखरखाव, मशीन शाप, इंजन पुनरनुकूलन और आटोमोबाइल मरम्मत से आनुषंगिक अन्य व्यवसायों का कार्य करने वाली आटोमोबाइल वर्कशाप में, आटोमोबाइल अभियांत्रिकी में डिग्री धारक के संबंध में एक वर्ष का अनुभव या यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री धारक के	खंड अधीक्षक	यांत्रिक अभियांत्रिकी /आटोमो–बाइल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव। या यांत्रिक अभियांत्रिकी /आटोमो–बाइल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा के साथ स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	

				संबंध में दो वर्ष का अनुभव।			

[संख्या एफ.( )डीओपी/ए–II/95]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
नलिनी कठोतिया,
शासन उप सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr. II)

NOTIFICATION
Jaipur, April 16, 2010

G.S.R.11.-In exercise of the powers conferred by the proviso to Articles 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules, further to amend the Rajasthan Motor Garage Service Rules, 1958, namely,-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Garage Service (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force with immediate effect or from the date specifically mentioned in concerned amendment.

2. Amendment to rule 4.- In rule 4 of the Rajasthan Motor Garage Service Rules, 1958, herein after referred to as the said rules,-

(i) the existing clause (a) and entries thereto shall be renumbered as (aa).

(ii) before the clause (aa) so renumbered following new clause (a) shall be inserted, namely:-

"(a) "Appointing Authority" means the Government of Rajasthan;"

(iii) the existing clause (b) and entries thereto shall be renumbered as (bb).

(iv) before the clause (bb) and after clause (aa) so renumbered following new clause (b) shall be inserted, namely:-

"(b) "Committee" means the committee referred to in rule 21A:"

(v) the existing clause(c), shall be substituted by the following, namely:-

"(c) "Controller" means the Controller, State Motor Garage Department;"

3. Amendment to rule 6.- In rule 6 of the said rules,-

(i) the existing expression "(i) The nature" shall be substituted by the expression "(1) The nature".

(ii) the existing expression "(iii) The strength" shall be substituted by the expression "(2) The strength".

(iii) after the existing clause(i) of sub-rule (1), the following new clause (i-a) shall be deemed to have been inserted, with effect from 18-01-1984, namely:-

"(i-a) Senior Automobile Engineer"

(iv) In Clause (ii) of sub-rule (1) after the existing expression "Automobile Engineer", the expression "/Store Officer", shall be deemed to have been added, with effect from 19-07-1978.

4. Amendment to rule 7.-The existing rule 7 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**7. Method of Recruitment.**- (1) Recruitment to the post(s) in the service after the commencement of these rules shall be made by the following methods of recruitment in the proportion as indicated in column 3 and 4 of the Schedule:-

(a) by direct recruitment in accordance with the procedure prescribed in part IV of these rules, and

(b) by promotion in accordance with the procedure prescribed in part IVA of these rules.

(2) Recruitment to the service by the aforesaid methods shall be made in such a manner that the persons appointed to the service by each method do not at any time exceed the percentage laid down in the schedule of the total cadre strength as sanctioned for each category from time to time:

Provided that if the Appointing Authority is satisfied in consultation with the Commission, where necessary, that suitable persons are not available for appointment by either method of recruitment in a particular year, appointment by the other method in relaxation of the prescribed proportion may be made in the same manner as specified in these rules."

5. Amendment to rule 11.- The existing rule 11 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"11. Academic and Technical Qualifications and Experience.- A candidate for direct recruitment to the post (s) specified in the schedule as the case may be, shall possess:-

(1) The qualifications and experience as laid down in column 5 of schedule,-

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagri script and knowledge of Rajasthan culture;

Provided that the person who has appeared or is appearing in the final year examination of the course, which is the requisite educational qualification for the post as mentioned in the rules or schedule for direct recruitment shall be eligible to apply for the post but he shall have to submit proof of having acquired the requisite educational qualification to the appropriate selection agency:-

(i) before appearing in the main examination where selection is made through two stages of written examination and interview;

(ii) before appearing in interview where selection is made through written examination and interview; and

(iii) before appearing in the written examination or interview where selection is made through only written examination or only interview, as the case may be."

6. Amendment to rule 14.- The existing rule 14 of the said rules shall be deleted.

7. Insertion of new Part IVA.- After Part IV of the said rules, following new PART IVA shall be inserted, namely;

"PART IVA-PROCEDURE FOR RECRUITMENT BY PROMOTIONS

21A. Constitution of the Committee.- The committee consisting of the Chairman of the Commission or a member thereof nominated by him as Chairman, The Principal Secretary/ Secretary to the Government, in the General Administration Department, the Principal Secretary / Secretary to the Government in the Department of Personnel or his

representative not below the rank of Deputy Secretary to the Government in the Department of Personnel as Members and the Controller, Motor Garage as Member-Secretary shall consider the case of promotion:-

Provided that in case any Member or Member-Secretary, as the case may be, constituting the Committee has not been appointed to the post concerned, the officer holding the charge of the post for the time being shall be the Member or Member Secretary, as the case may be, of the Committee.

21AA. Criteria, Eligibility and Procedure for Promotion.-

(1) As soon as the Appointing Authority determines the number of vacancies under rule regarding determination of vacancies of these rules and decides that a certain number of posts are required to be filled in by promotion, it shall subject to the provisions of sub-rule(6), prepare a correct and complete list of the senior most persons who are eligible and qualified under these rules for promotion on the basis of seniority cum merit or on the basis of merit to the class of posts concerned.

(2) The persons enumerated in the relevant column regarding post from which promotion is to be made, of the relevant Schedule shall be eligible for promotion to posts specified against them in column 2 thereof to the extent indicated in column 3 subject to their possessing minimum qualifications and experience on the first day of the month of April of the year of selection as specified in the relevant column regarding minimum qualification and experience for promotion.

(3) No person shall be considered for first promotion in the service unless he is regularly selected on the post from which promotion is to be made in accordance with one of the methods of recruitment prescribed under the provisions of these rules.

Explanation: In case direct recruitment to a post has been made earlier than regular selection by promotion in a particular year such of the persons who are or were eligible for appointment to that post by both the methods of

recruitment and have been appointed by direct recruitment first, shall also be considered for promotion.

(4) No person shall be considered for promotion for five recruitment years from the date on which his promotion becomes due, if he/she has more than two children on or after 1st June, 2002:

Provided that -

(i) The person having more than two children shall not be deemed to be disqualified for promotion so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002 does not increase.

(ii) Where a Government servant has only one child from the earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

(5) Selection for promotion on the post included into the service shall be made on the basis of seniority-cum-merit:

Provided that promotions on the highest post in the State Service if it is at least third promotion shall be made on the basis of merit alone.

Provided further that if the Committee is satisfied that suitable persons are not available for selection by promotion to the highest post(s) strictly on the basis of merit in a particular year, selection by promotion to the highest post(s) on the basis of seniority cum merit may be made in the same manner as specified in these rules.

(6) The zone of consideration of persons eligible of promotion shall be as under:-

(i)	Number of vacancies	Number of eligible persons to be considered
	(a) for one vacancy	five eligible persons
	(b) for two vacancy	eight eligible persons
	(c) for three vacancy	ten eligible persons
	(d) for four or more vacancies	three times the number of vacancies.

(ii) Where, the number of eligible persons for promotion to higher post is less than the number specified above, all the persons so eligible shall be considered.

(iii) Where, adequate number of the candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, are not available within the zone of consideration specified above, the zone of consideration may be extended upto seven times the number of vacancies and the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be (and not any other) coming within the extended zone of consideration shall also be considered against the vacancies reserved for them.

(iv) For any post in the Service.-

(a) If promotion is from more than one categories of posts in the same pay scale, eligible persons upto two in numbers from each category of posts in the same pay scale shall be considered for promotion,

(b) If promotion is from more than one categories of posts carrying different pay scales, eligible persons in the higher pay scale shall be considered for promotion first and if no suitable person is available for promotion on the basis of merit or seniority-cum-merit, as the case may be, in the higher pay scale than only the eligible persons of other categories of posts in lower pay scales shall be considered for promotion and so on and so forth. The zone of consideration for eligibility in this case shall be limited to five senior most eligible persons in all.

(7) Except as otherwise expressly provided in this rule, the conditions of eligibility for promotion, constitution of the committee and procedure for selection shall be the same as prescribed elsewhere in these rules.

(8) The Committee shall consider the case of all the senior most persons who are eligible and qualified for promotion to the class of post(s) concerned under these rules and shall prepare a list containing name of the persons found suitable on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules equal

to the number of vacancies determined under these rules. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit and / or on the basis of merit, as the case may be, shall be arranged in the order of seniority of the category of post(s) from which selection is made.

(9) The committee may also prepare a list on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules, containing names of persons not exceeding the number of persons selected in the list prepared under sub-rule (8) above to fill temporary or permanent vacancies, which may occur subsequently. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit shall be arranged in the order of seniority in the category of post from which selection shall be made. Such a list shall be reviewed and revised by the Committee that meets in the subsequent year and that such list shall remain in force till the end of the last day of the year for which the meeting of the Committee is held.

(10) Lists prepared under sub-rule(8) and (9) shall be sent to the Appointing Authority together with Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports and other Service Records of all the candidates included in the lists as also of those not selected, if any.

Explanation: For the purpose of selection for promotion on the basis of merit, no person shall be selected if he does not have "Outstanding" or "Very Good" record of at least four out of seven years preceding the year for which the meeting of the Committee is held.

(11) If in any subsequent year, after promulgation of these rules vacancies relating to any earlier year are determined under these rules which were required to be filled in by promotion, the Committee shall consider the cases of all such persons who would have been eligible in the year to which the vacancies relate irrespective of the year in which meeting of the Committee is held and such promotion shall be governed by the criteria and procedure for promotion as was applicable in the particular year to which the vacancies relate and the

Service/Experience of an incumbent who has been so promoted, for promotion to higher post for any period during which he has not actually performed the duties of the post to which he would have been promoted shall be counted. The pay of a person who has been so promoted shall be re-fixed at the pay which he would have derived at the time of his promotion, but no arrears of pay shall be allowed to him.

(12) The Government or the Appointing Authority may order for the review of the proceedings of the Committee held earlier on account of some mistake or error apparent on the face of record, or on account of a factual error substantially affecting the decision of the Committee or for any other sufficient reasons e.g. change in seniority, wrong determination of vacancies, judgment/direction of any Court or Tribunal, or where adverse entries in the confidential reports of an individual are expunged or toned down or a punishment inflicted on him is set aside or reduced. The concurrence of the Department of Personnel and the Commission (Where Commission is associated) shall always be obtained before holding the meeting of the review committee.

(13) Where consultation with the commission is necessary the lists prepared by the Committee shall be forwarded to the Commission by the Appointing Authority along-with the personal files and Annual Confidential Rolls/Annual Performance Appraisal Reports of all the persons whose names have been considered by the committee.

(14) The Commission shall consider the lists prepared by the Committee along-with other relevant documents received from the Appointing Authority and unless any change is considered necessary, shall approve the lists. In case the Commission considers it necessary to make any change in the lists received from the Appointing Authority, it shall inform the Appointing Authority of the changes proposed by it. After taking into account the comments of the Commission, if any, the Appointing Authority may approve the lists finally with such modifications, as may in its opinion, be just and proper and when the Appointing Authority is an

authority subordinate to the Government, the lists approved by the Commission shall be disturbed only with the approval of the Government.

(15) Appointments shall be made by the Appointing Authority taking persons out of the lists finally approved under the preceding sub-rule(14) in the order in which they have been placed in the lists, till such lists are exhausted or reviewed and revised or remained in force, as the case may be.

(16) The Government may issue instructions for provisionally dealing with the promotions, appointments or other ancillary matters in an equitable and fair manner of persons who may be under suspension, or against whom departmental proceedings is under progress at the time promotions are considered to a post to which they are eligible or would have been eligible but for such suspension or pendency of such enquiry or proceedings.

(17) The provision of this rule shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any provision of these rules."

8. Amendment to rule 23.- The existing rule 23 of the said rules shall be deemed to have been substituted by the following, with effect from 18-01-1984, namely:-

"23. Appointment by promotion to the post of Chief Superintendent, Senior Automobile Engineer, Automobile Engineer/Store Officer.-

(1) Substantive or officiating appointment to the post of Chief Superintendent up to the commencement of these rules, shall be made by the Government by promoting the Senior Automobile Engineer/ Automobile Engineer if he is considered fit for such promotion.

(2) Substantive or officiating appointment to the post of Senior Automobile Engineer up to the commencement of these rules, shall be made by the Government by promoting the Automobile Engineer/ Store Officer if he is considered fit for such promotion."

9. Insertion of new rule 28 A.- After the existing rule 28, the following new rule shall be inserted, namely:-

"28 A. Seniority.- Seniority of persons appointed to the post encadered in the service shall be determined from the date of appointment on the post after regular selection in accordance with the provisions of these rules. Appointment on adhoc or urgent temporary basis shall not be deemed to be appointment after regular selection:

Provided that -

(i) The interse seniority of persons appointed to a post in a particular category by direct recruitment on the basis of one and the same selection except those who do not join service when a post is offered to them within a period of six weeks from the date of issue of order or longer, if extended by the Appointing Authority, shall follow the order in which their names have been placed in the list prepared under rule 20.

(ii) If two or more persons are appointed to the service during the same year, a person appointed by promotion shall rank senior to the persons appointed by direct recruitment.

(iii) The persons selected and appointed as a result of selection, which is not subject to review and revision shall rank senior to the persons who are selected and appointed as a result of subsequent selection.

(iv) The seniority interse of persons selected on the basis of seniority –cum-merit and on the basis of merit in the same selection shall be the same as in the next below grade.

(v) If two or more categories or post are eligible for promotion the inter-se-seniority shall be determined on the basis of continuous length of service after regular appointment on the post from which promotion is to be made."

10. Insertion of schedule.- After the rule 34 of the said rules, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"SCHEDULE

S. N.	Name of Post	Method of recruitment with Percentage		Qualification and experience for direct recruitment	Promotion		Remarks
		Direct recruitment	Promotion		Post from which promotion is to be made	Qualification and experience	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chief Superintendent	-	100%	(i) Degree in Automobile/ Mechanical Engineering of a University established by law in India. (ii) 5 years' experience in an automobile work shop dealing with plant maintenance, machine shop, engine reconditioning and other trades ancillary to automobile repairs.	Senior Automobile Engineer /Automobile Engineer	3 years' experience on the post of Senior Automobile Engineer mentioned in column No. 6 or 5 years' experience on the post of Automobile	If suitable Senior Automobile Engineer is not available for promotion, the post of Chief Superintendent may be filled from Automobile Engineer

1	2	3	4	5	6	7	8
				to automobile repairs.		Engineer mentioned in column No. 6	
2.	Senior Automobile Engineer	-	100%	(i) Degree in Automobile/Mechanical Engineering of a University established by law in India and. (ii) 5 years' experience in an automobile work shop dealing with plant maintenance, machine shop, engine reconditioning and other trades ancillary to automobile repairs.	Automobile Engineer/ Store Officer	3 years' experience on the post mentioned in col. 6 with degree in mechanical Engineering / Automobile Engineering. or 5 years' experience on the post mentioned in col. 6 with Dipl-	

1	2	3	4	5	6	7	8
						oma in mechanical Engineering / Automobile Engineering.	
3.	Automobile Engineer / Store Officer	50%	50%	Degree in Automobile/Mechanical Engineering of a University established by law in India with experience of one year in respect of degree holder in automobile engineering or 2 years' experience in respect of degree holder in mechanical engineering in automobile workshop dealing	Divisional Superintendent	3 years' experience on the post mentioned in col. 6 with degree in mechanical Engineering / Automobile Engineering. or 5 years' experience on the post ment-	

1	2	3	4	5	6	7	8
				with plant maintenance, machine-shop, engine reconditioning and other trades ancillary to automobile repairs.		ioned in col. 6 with Diploma in mechanical Engineering / Automobile Engineering."	

[No.F. ( ) DOP/A-II/95]

By Order and in the name of the Governor,

नलिनी कठोतिया,

Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.